http://abcaus.in

पत्र संख्या-आई0टी0/ जी0एस0टी0रिटर्न /2017-18/ 1094 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0
(आई0टी0 अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: 28 सितम्बर 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू जी0एस0टी0 व्यवस्था में वाणिज्य कर विभाग में पूर्व से पंजीकृत व्यापारियों को जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर माइग्रेट करना अनिवार्य था। व्यापारियों के माइग्रेशन के पश्चात ही जी0एस0टी0एन0 पोर्टल की ऑनलाइन सेवाएं व्यापारियों के Login पर उपलब्ध होंगी। वर्तमान में विभाग में पूर्व से पंजीकृत व्यापारियों में से 782226 (89.28%) व्यापारियों द्वारा अपने प्रोविजनल आई0डी0 एवं पासवर्ड द्वारा जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर पार्ट (A) भरकर एक्टीवेशन कर लिया गया है परन्तु दूसरे पार्ट के फील्डस में वांछित जानकारियां भरकर पूर्ण माईग्रेशन नहीं किया है। अभी तक मात्र 654845 (75.32%) व्यापारियों द्वारा पूर्णतः माइग्रेशन किया गया है। जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर माइग्रेशन हेतु शेष व्यापारियों के जोन/सम्भाग/खण्डवार सूची समस्त एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के Login पर प्रेषित कर दी गई है। उक्त सूची में उल्लिखित व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निदान करते हुये समस्त व्यापारियों का जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर माइग्रेशन कराने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करायें।

दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू जी0एस0टी0 व्यवस्था में वाणिज्य कर विभाग में पूर्व से पंजीकृत व्यापारी जो GSTN व्यवस्था में माईग्रेट कर चुके हैं तथा नये पंजीकृत व्यापारियों को माह जुलाई तथा माह अगस्त का GSTR-3B फाइल करना था।

GSTN द्वारा प्राप्त डाटा की एनालिसिस करने पर 86038 व्यापारियों द्वारा माह जुलाई का रिटर्न दाखिल किया गया था परन्तु माह अगस्त का रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। यह सूची समस्त एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के Login पर प्रेषित कर दी गई है। सूची मे से अपने अधिक्षेत्र से सम्बन्धित छोटे तथा मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को विशेष रुप से आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर/ आई0टी0 सम्बन्धी सहायता प्रदान करें। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर रिटर्न फाइल करवाने का प्रयास सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाये तथा व्यापारियों को रिटर्न फाइलिंग में आ रही प्रक्रियागत कठिनाइयों, कर की दर सम्बन्धी शंकाओं, विधिक शकाओं, आई0टी0 सम्बन्धी अथवा HSN Code सम्बन्धी सभी समस्याओं को Zone स्तर पर संकलित कर दिनांक 04.10.2017 तक प्रत्येक दशा में ctithqhu-up@nic.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

28/09/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठाकन पत्र संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग उ0 प्र0 शासन।

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।